



STATE OF NORTH CAROLINA
BOARD OF REVIEW

IN THE MATTER OF:

Higher Authority Decision No.

दावेदार

नियोक्ता

ATTN:

N.C.Gen.Stat. §96-15(e) के अनुसार, यह कारण समीक्षा बोर्ड ("बोर्ड") के सामने **(दावेदार के)** **(नियोक्ता)** के द्वारा **अपील** लेबल संख्या-----के तहत अपील निर्णायक द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई अपील पर विचार करने के लिए आया था। साक्ष्यों की सुनवाई अपील निर्णायक के समक्ष-----को कर ली गई है। अभिलेख में सबूतों की संपूर्णता में समीक्षा की गई है।

रोजगार सुरक्षा कानून की आवश्यकता है

कि विभाग इस तरह से सुनवाई

आयोजित करे कि पार्टियों के बहुत जरूरी अधिकारों को सुरक्षित रखता है। N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(c) और (f); 04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें। दूसरे शब्दों में सभी पार्टियों को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और मूल रूप से उचित प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के लिए सभी पक्षों को सुने जाने का अवसर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। पक्ष सुने जाने के अधिकार का आनंद लें, इसके लिए उन्हें नोटिस दी जानी चाहिए। स्थाई कारण प्रक्रिया के लिए सभी पक्षों पर कानून के उचित और समान आवेदन करने की आवश्यकता होती है। जब दावेदार को काम से छुट्टी दे दी जाती है, तो नियोक्ता पर यह साबित करने का भार होता है, दावेदार का निष्काषण किसी कारण के लिए था, जो दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य ठहराएगा। Guilford Cty. बनाम Holmes, 102 N.C. App. 103, 401 S.E.2d 135 (1991); Intercraft Indus. Corp. बनाम Morrison, 305 N.C. 373, 376, 289 S.E.2d 357, 359 (1982); Umstead बनाम Emp't Sec. Comm'n, 75 N.C.App. 538, 331 S.E.2d 218, प्रमाणपत्र अस्वीकृत, 314 N.C. 67, 336 S.E.2d 405 (1985)। जब रिकार्डों में कोई ऐसा सबूत होता है, जो भौतिक मुद्दे पर निष्कर्ष का समर्थन करता है, तो बोर्ड किसी नियोक्ता को यह साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दे सकता कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसा करने से दावेदार के

Higher Authority Decision No.

पांच पृष्ठ म से दो

उचित परकिरया के अधिकार का उल्लंघन होता है, और नियोकता को यह साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर परापत होता है कि दावेदार को बेरोजगारी बीमा परापत करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। Dunlap बनाम Clarke Checks, Inc., 92 N.C. App. 581, 375 S.E.2d 171 (1989)।

डिवीजन ने सभी पाटिर्यों को सभी गवाह, दसतावेज, रिकार्डिंग और अनय सबूतों को सुनवाई के दौरान परसतुत करने के दायितव के लिए नोटिस पर रखा। परतयेक पक्ष को *अपील और सुनवाई: सतर 1* परारंभिक निधाररण पर अपील शीषरक वाली एक नीली पुसितका निणारयक लेबल संख्या द्वारा निधाररित की एक परति के साथ-----पर भेजी गयी। पुसितका के पैनल 5 और 6 पर निमन भाषा होती है:

सुनवाई के लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ?

सुनवाई नोटिस को धयानपूवरक पढ़ें। मामले के बारे में क्या कहा गया है, यह जानने के लिए नोटिस के साथ आए सभी दसतावेजों को धयान से पढ़ें।इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सुनवाई में कौन से

गवाहों को गवाही देनी चाहिए।सभी दसतावेज, रिकार्डिंग और सबूतों को, जो आपके मामले का समथरन करते हैं, एकतर करें। यदि सुनवाई फोन पर आयोजित की जाएगी, तो आपको सुनवाई की तारीख से पहले अपील निणारयक और सभी पक्षों के लिए अपने सबूत की परतियां परदान करनी होंगी। वयकितगत सुनवाई के लिए सभी पक्षों और अपील निणारयक को देने के लिए पर्यार्पत परतियां बनाएं। अगर आप अपील निणारयक और अनय पक्षों को परतियां परदान नहीं करते, तो अपील निणारयक मामले का निणारय करने के लिए उस सबूत को संज्ञान में नहीं ले पाएंगे। अपने गवाहों को चुनें और उन्हें सुनवाई के लिए उपलबध कराएं। परतयक्षदर्शी और परथम-हसत गवाही । परथम-हसत गवाही में वे गवाह शामिल होते हैं, जिन्होंने गड़बड़ी को देखा, सुना या महसूस किया है।यदि कथित अपराध की कोई रिकार्डिंग है, तो रिकार्डिंग सबसे अचछा सबूत है, गवाहों ने रिकार्डिंग में क्या देखा और सुना, उसके विषय में गवाह की गवाही को साक्ष्य के आधार पर पेश नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा आरोप है जिसमें कोई पक्ष ऐसे दसतावेज पर हसताक्षर करता है, या लिखित रूप में कछु जमा करता है, जिसे आप मामले के लिए परासंगिक मानते हैं, तो आप इसे साक्ष्य के तौर पर परसतुत कर सकते हैं, परंतु आपको दसतावेज की एक परति अपील निणारयक और अनय पक्षों को परदान करनी होंगी। टेलीफोनिक सुनवाई के लिए अपील निणारयक से संपकर करके अपने गवाहों के नाम और फोन नंबर उपलबध

Higher Authority Decision No.

पांच पृष्ठ म से तीन

करवाएं या अपनी नोटिस के साथ आई टेलीफोनिक सुनवाई परशनावली को भरकर वापस भेजें।
04 N.C. Admin. Code 24C .0209 देखें।

सुनवाई पर या होगा ?

अपील निणारयक सुनवाई के दौरान अध्यक्षता करेंगे, वहां मौजूद सभी लोगों की पहचान करेंगे और सुनवाई के उद्देश्य की वयाख्या करेंगे।

परशन पूंछने के अलावा, अपील निणारयक साक्ष्यों को सवीकार करेंगे और आवेदनों और आपिततयों को भी देखता है। आप और आपके गवाहों को गवाही देने, साक्ष्य परसतुत करने और किसी अनय के द्वारा परसतुत साक्ष्यों के विषय में परशन करने की अनुमति दी जाएगी। सुनवाई के अंत में आपको अपने मामले को संक्षेप में परसतुत करने का मौका मिलेगा।

सुनवाई की एक नोटिस, परदशरन संख्या-----सभी पक्षों को सुनवाई के () दिन पहले-----को भेजी गई। अनय बातों के अलावा नोटिस यह भी कहती है:

HOW TO GIVE EVIDENCE : शपथबद्ध गवाही आवश्यक है। यदि आप गवाहों की गवाही दिलवाना चाहते हैं, तो उन्हें सुनवाई में ऐसा करना होगा। यदि आपके पास गवाह दसतावेज, इलेक् रानिक रिकार्डिंग या अनय साक्ष्य हैं, जिन पर आप सुनवाई अधिकारी द्वारा विचार करवाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें सुनवाई अधिकारी और परतयेक पक्ष के पास भेजना या पहुंचाना होगा। साक्ष्य सुनवाई के पहले पहुंच जाना चाहिए।

सुनवाई की नोटिस पक्षों को यह भी सूचित करती है कि वे सुनवाई के स्थगन का अनुरोध कर सकते हैं, तथा इसकी परकिरया के बारे में सूचित करती है। अचछा कारण दिखाने और सुनवाई से पहले, नियोकता अपने गवाहों को सुरिक्षत करने के लिए, या उससे साक्ष्य परापत करने के लिए या उन्हें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकता था। "अचछा कारण" यथोचित परिशरम के अभयास में कानूनी रूप से आवश्यक कायर को करने में विफल रहने के लिए पर्यार्पूत रूप से उचित कानूनी कारण होना चाहिए। N.C. Gen. Stat. §)15-96d (1) और 04 N.C. Admin. Code 24A . (26)0105 देखें। यथोचित परिशरम का अथर है, एक उचित और

विवेकपूणर वयिकत द्वारा जागरूकता, सावधानी और बचाव और विशेष परिस्थितियों के तहत अपेक्षित अचछे निणारय का उपाय। 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(21)।

यह पूर्वगामी लिखित नोटिस से स्पष्ट है कि नियोक्ता को सभी गवाही और अन्य साक्ष्यों को साक्ष्य सुनवाई में प्रस्तुत करने के दायित्व से स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था। रिकार्डों में इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि नियोक्ता को सभी साक्ष्य या दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने से या 04 NCAC 24C .0207 के अनुसार सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने की प्रार्थना करने से रोका गया। इसलिए बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा प्रक्रियात्मक कारण प्रक्रिया की पूर्ति होती है। रिकार्डों में अपील निर्णायक द्वारा सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने की प्रार्थना को मना करने के भी कोई संकेत नहीं हैं।

इस मामले में नियोक्ता ने उन गवाहों की गवाही दी, जो दावेदार के रोजगार से अलग होते समय आसपास की परिस्थितियों में प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। सुनवाई में नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत सभी गवाह अफवाह गवाही पर आधारित थे। अफवाह गवाही, जिसमें सुनवाई के दौरान गवाही देने वाले का वह कथन है, जिसका वह स्वयं प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और जो दावित मामले को सत्य साबित करने के लिए एक साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया है। N.C. Gen.Stat. §8C-1, Rule 801(c)। दूसरे शब्दों में, नियोक्ता ने उन लोगों की गवाही प्रस्तुत की जो संबंधित थे, परंतु मामले के प्रत्यक्षदर्शी या व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं थे, उन्होंने केवल वही दुहराया जो दूसरों ने कहा था या उन्होंने दूसरों से सुना था। परिणामस्वरूप, साक्ष्य को केवल गवाह की गवाही की विश्वसनीयता से पूरी तरह से अपना मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु मुख्य रूप से यह अन्य व्यक्ति की सत्यता व क्षमता पर निर्भर करती है।

हालांकि अफवाह साक्ष्य आम तौर पर की बेरोजगारी बीमा प्रतिस्पर्धी सुनवाई में स्वीकार्य हैं, यह केवल तभी स्वीकार की जाएगी, जब यह सुनवाई अपवाद के भीतर हो, या विश्वसनीयता की समकक्ष परिस्थितियों की गारंटी देता है और यह उस बिंदु पर अधिक संभाव्य है, जहां इसे किसी अन्य साक्ष्य की तुलना में प्रदान किया जाता है, जिस पर अफवाह के प्रस्तावक इसे यथोचित तरीके से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। 04 N.C. Admin. Code 24C .0210। नियोक्ता को, अफवाह साक्ष्य के प्रस्तावक के रूप में प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की दक्षता दिखाने का भार उठाना होगा। इस मामले में नियोक्ता, दावेदार के रोजगार से अलग होने की परिस्थितियों के विषय में किसी भी गवाह के निजी ज्ञान के साथ गवाही प्रस्तुत करने में असफल रहा। नियोक्ता ने यह नहीं दिखाया कि अफवाह साक्ष्य सुनवाई के नियमों के अनुसार अपवाद के भीतर थे, या विश्वसनीयता की समान परिस्थितिजन्य गारंटी देता है और यह उस बिंदु पर अधिक संभाव्य है, जहां इसे किसी अन्य साक्ष्य की तुलना में प्रदान किया जाता है, जिस पर नियोक्ता द्वारा इसे यथोचित तरीके से परापत किया जाना अपेक्षित है। 04 N.C. Admin. Code 24C .0210 देखें।

IMPORTANT - SEE FOLLOWING PAGE

Higher Authority Decision No.

पांच पृष्ठों में से चार

बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए परतिसपधार्तमक दावों के मामले में अंतिम तक्ष्य खोजक के रूप में, बोडर ने निषकषर निकाला है कि अपीलीय निणारयकों द्वारा परापत किए गए तथय सक्षम परमाणों स समथिरत थे और उनहे सवयं के रूप में अपनाना गया था। बोडर ने यह निषकषर भी निकाला है कि अपीलीय निणारयकों ने परापत तथयों पर रोजगार सुरक्षा कानूनों(N.C. Gen.Stat. §96-1 et seq.) को यथाथर व सही रूप से लागू किया गया है, जैसा कि पाया गया है, और परिणामसवरूप निणारय कानून व तथयों के अनुसार था। जैसा कि नियोकता यह दिखाने में असफल रहा कि दावेदार को कदाचार के लिए हटाया गया था और N.C. Gen. Stat. § 96-14.6 केतहत लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

निणारयक का निणारय (पु ट किया गया) (विपरीत) (संशोधित) है।

दावेदारों को बेरोजगारी बीमा के लाभों के प्रारंभ के लिए **अयोग्य** घोषित किया गया।
अयोग्य नहीं घोषित किया गया

और बेरोजगारी बीमा के लाभों

का प्रारंभ प्राप्त होगा।

समीक्षा समिति के सदसय Susan Doe और John Doe ने इस अपील में भाग लिया और इस फैसले से सहमत हैं।

यह है:

BOARD OF REVIEW

.....

Chairman

NOTE: उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि उच्चतम न्यायालय में इसकी न्यायिक समीक्षा के लिए निम्नानुसार याचिका दाखिल नहीं की गई हो। मेलिंग की तिथि इस निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दी गई है। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह प्रदान नहीं करता है, कृपया उच्च प्राधिकरण निर्णय पर अपील करने के लिए संलग्न पुस्तिका देखें। यह पुस्तिका पूरे राज्य में सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों और रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप रोजगार सुरक्षा की वेबसाइट WWW.des.nc.gov पर जाकर *अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ)* के अनुभाग पर जा सकते हैं और अपनी पसंद के वकील से परामर्श कर सकते हैं।

अपीलकर्ता द्वारा उच्च प्राधिकरण के इस निर्णय के खिलाफ अपील अपने निवास स्थान या अपने मुख्य व्यापार स्थल के क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज की जानी चाहिए। यदि पार्टी North Carolina के किसी प्रांत में निवास नहीं करती या इसका मुख्य व्यापार स्थल यहां के किसी प्रांत में नहीं है, तो अपील North Carolina के Wake County के उच्चतम न्यायालय के लिपिक या उत्तरी कैरोलीना के उस क्षेत्र के उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज करवायी जाएगी, जहां विवाद उत्पन्न हुआ था।

उच्च प्राधिकरण निर्णय का यह निर्णय मेल करने के (30) दिनों के बाद अंतिम बन जाएगा जब तक कि N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) और (i) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका दाखिल नहीं की गई हो।

उच्चतम न्यायालय के लिपिक के पास दर्ज किसी भी याचिका की प्रतियां रोजगार सुरक्षा ("Division")के विभाग और सभी पक्षों के पास याचिका दाखिल होने के (10) दिनों के भीतर कार्यवाही के लिए भेज दी जानी चाहिए। याचिका की प्रतियां व्यक्तिगत सेवाओं या मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए, और वापसी रसीद प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के लिए आवेदित याचिकाओं को विभागीय प्रक्रियाओं के लिए पंजीकृत एजेंट को संबोधित किया जाना चाहिए।

A. John Hoomani
Chief Counsel
North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Mailing Address: Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903
Physical Address: 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

Higher Authority Decision No.

NOTE: यदि आपको किसी अनय पार्टी द्वारा नयायिक समीक्षा के लिए याचिका भेजी गई है, तो आप नयायिक समीक्षा कायरवाही के लिए तब तक एक पक्ष नहीं होंगे जब तक कि आप : (1) याचिका परापत होने के (10) दिनों के भीतर उच्चतम नयायालय को सूचित नहीं कर देते कि आप कायरवाही के लिए एक पक्ष बनना चाहते हैं या (2) N.C. Gen. Stat. § 1A-1, के नियम 24, में उपलब्धता के अनुसार हसतक्षेप के लिए एक परसताव दजर करें।

NOTICE TO ALL INTERESTED PARTIES

04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) (एक नियोकता के बेरोजगारी बीमा परशासक के रूप में सेवा करने वाली तृतीय-पक्ष की कंपनी से वयिकतयों को शामिल करते हुए) में परिभाषित एक कानूनी परतिनिधि लाइसेंस परापत वकील या N.C. [Gen. Stat. Ch. 84](#) और [§ 96-17\(b\)](#) के अनुसार लाइसेंस परापत वकील के अंतरगत कायर करने वाला एक वयिकत होना चाहिए। **नयायिक कायरवाही के कानूनी परतिनिधित्व को N.C. Gen. Stat. Ch. 84 का अनुपालन करना चाहिए।**

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 के अनुसार जब पक्ष का एक कानूनी परतिनिधि होता है, तो पक्ष को परदान किए जाने वाले सभी कानून जानकारी या दसतावेज केवल कानूनी परतिनिधि को भेजे जाएंगे। कानूनी परतिनिधि को भेजी गई कोई भी जानकारी उसी बल और परभाव में मानी जाएगी, जैसे कि उसे सीधे पार्टी को भेजा गया हो।

30, जून या उसके बाद दजर किए गए दावों के लिए दावेदार अपील पर वापस ले लिए गए किसी नयायिक निणरय से परापत लाभों के पुनभुरगतान के अधीन हैं। N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2)

SPECIAL NOTICE TO CLAIMANTS: यदि आप अंतरनिहित दावों के संबंध में पहले से बेरोजगारी बीमा के लाभ परापत कर रहे हैं या पहले से परापत कर चुके हैं और इस उच्च पराधिकरण निणरय के नियमानुसार आप इस तरह के सभी लाभों के लिए अयोग्य पाए जाते हैं, या इन नियमों को पूरा नहीं करते, आपको N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) के अनुसार लाभों का अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। यदि उच्च पराधिकरण निणरय से अधिक भुगतान तैयार होने पर आपको विभाग के लाभ समग्रता/ लाभ भुगतान नियंतरण अनुभाग से अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निधाररण का एक नोटिस अलग से भेज दिया जाएगा। यह नोटिस आपके ऊपर अधिक भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के अलावा आप पर लागू होने वाले अनय किसी दंड का भी निधाररण करेगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त भुगतान के खिलाफ आप एक ही रासता

चुन सकते हैं, जो उच्च प्राधिकरण निर्णय की न्यायिक समीक्षा के लिए North Carolina के कानूनों और ऊपर दिए गए तरीके के अनुसार एक याचिका दायर करनी है। अपनी याचिका में आपको यह निर्दिष्ट करना होगा कि क्या आप अपील कर रहे हैं: (1) अयोग्यता या पात्रता के लिए और/या (2) इस परिणामी निर्धारण के लिए कि आपको लाभों का अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है।

Appeal Filed:

Decision Mailed: